पटना नगर निगम

मौर्यलोक कम्पलेक्स, पटना-800001

पटना कारपोरेशन

सशक्त स्थायी समिति की 12वीं साधारण बैठक की कार्यवाही:-

दिनांक :- 30.09.2024

समय :- 12:30 बजे अपराह्न

स्थान :- महापौर कार्यालय कक्ष, मौर्यालोक कम्पलेक्स, पटना।

अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से.	रेशमी कुमारी	सीता साहू
नगर आयुक्त	उप-महापौर	महापौर
पटना नगर निगम	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

CITY OF PATNA

Letter No./ पत्रांक: 17860
Date / दिनांक: 19/11/2024

2024317860

1

दिनांक-30.09.2024 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 12वीं साधारण बैठक माननीया महापौर, श्रीमती सीता साहू की अध्यक्षता में हुई। जिसमें निम्नांकित माननीया/माननीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया, जिसकी उपस्थिति निम्न प्रकार है :-

1. **श्रीमती सीता साहू - महापौर, पटना नगर निगम।**
2. श्रीमती रेशमी कुमारी - उप-महापौर,पटना नगर निगम।
3. श्रीमती श्वेता राय - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
4. श्रीमती कावेरी सिंह - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
5. श्रीमती कांति देवी - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
6. श्री मनोज कुमार - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
7. श्री बिनोद कुमार - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।

निगम प्रशासन

1. **श्री अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से. - नगर आयुक्त, पटना नगर निगम।**
2. **श्री राजन सिन्हा (बि.प्र.से.) - अपर नगर आयुक्त**
3. श्री रामाशीष तिवारी - उप नगर आयुक्त -सह-नगर सचिव
4. श्री ज्योत प्रकाश - उप-नगर आयुक्त
5. श्री कन्हैया कुमार - उप-नगर आयुक्त
6. श्री प्रदीप कुमार राय - उप-नगर आयुक्त
7. श्री सुरेन्द्र कुमार सिन्हा - मुख्य नगर अभियंता
8. श्री सुशील कुमार झा - निदेशक,शहरी योजना
9. श्री अनिल कुमार - कार्यपालक अभियंता, बाँकीपुर प्रमंडल
10. श्री विजय कुमार - कार्यपालक अभियंता, मुख्यालय
11. श्री बब्लु कुमार गुप्ता - कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल
12. श्री सुभाष चन्द्र श्रीहर्ष -कार्यपालक अभियंता,कंकड़बाग प्रमंडल
13. श्री अजित कुमार - सी0पी0
14. श्री अवधेश कुमार सिंह - निजी सहायक

अध्यक्ष :- बैठक में उपस्थित उप-महापौर, सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्य, नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त एवं उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करती हूँ। बैठक की कार्यवाही शुरू की जाय।

सीता साहू

नगर आयुक्त :- माननीया महापौर,उप-महापौर, सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्यों तथा पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत है।

नगर सचिव, कार्यसूची को पढ़ें।

नगर सचिव :- बैठक में उपस्थित माननीया महापौर, माननीया उप-महापौर, माननीय सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्य, आदरणीय नगर आयुक्त एवं बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत है।

मद संख्या-01 :- **30.08.2024 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 11वीं साधारण बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।**

अध्यक्ष :- सम्पुष्टि का प्रस्ताव है, अपना-अपना सुझाव दें।

श्री बिनोद कुमार:- माननीया अध्यक्ष महोदया, कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह:- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं सम्पुष्टि का समर्थन करती हूँ।

प्रस्ताव संख्या-313:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक-30.08.2024 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 11वीं साधारण बैठक की कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाता है।**

मद संख्या-02 :- **आगामी पर्व एवं त्योहारों (दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पूजा) को देखते हुए की जा रही तैयारी के संबंध में।**

अध्यक्ष :- इस आशय का प्रतिवेदन अप्राप्त है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पूजा नजदीक है। प्रायः वार्डो में लाईट खराब होने की शिकायतें मिल रही हैं। लाईट की मरम्मति करने वाली एजेंसी मरम्मति के लिए जाते हैं लेकिन कुछ ही लाईटों की मरम्मति कर पाते हैं और पूर्व से स्वीकृत 100 लाईट में मात्र 50 लाईट की ही आपूर्ति की गयी है। मेरा सुझाव है कि आने वाले पर्व को देखते हुए प्रत्येक वार्ड में 50 लाईट की आपूर्ति की जाय।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- सरकार के अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-3004,दिनांक-25.09.2024 द्वारा स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन एवं रख-रखाव के संबंध में निर्देश जारी किया गया है। जिसके तहत EESL के द्वारा वर्षवार अधिष्ठापित स्ट्रीट लाईट की जाँच निगम का समिति गठित कर कराना है तथा पटना नगर निगम के प्रावधानों के अनुसार विपत्रों पर नियमानुसार EESL के दावों के निष्पादन के बाद ही निगम अपने स्तर से नये लाईट का अधिष्ठापन कर सकेंगे।

श्री विनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, विभागीय आदेश के पूर्व में निगम पर्षद द्वारा प्रत्येक वार्ड में 100 लाईट का प्रस्ताव पास हुआ है और EESL के द्वारा अभी तक 50 लाईट ही आपूर्ति कराया गया है, शेष बचे 50 लाईट प्रत्येक वार्ड में दिए जाए। विभाग के आदेश के पूर्व में लिए गए निर्णय का अनुपालन कराया जाय।

नगर आयुक्त :- पूर्व में निगम पर्षद द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त लिया जाय।

कार्य0अभि0(विद्युत) :- स्ट्रीट लाईट की मरम्मति अब निगम को स्वयं करना होगा। इसके लिए कार्रवाई की जा रही है।

श्री विनोद कुमार :- EESL के एकरारनामा के अनुसार अगर लाईट दो दिनों से अधिक खराब रहता है तो उसके विपत्र से कटौती किया जाना है। इसकी भी जाँच होनी चाहिए।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पूजा के अवसर पर प्रत्येक वार्ड में विभाग के आदेश के पूर्व में लिए गए निर्णय के आलोक में लाईट की आपूर्ति होनी चाहिए, जिससे सड़कों पर अंधेरा न रहे।

आने वाले पर्व को देखते हुए प्रत्येक वार्ड में सफाई मजदूर की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही पूर्व में जो कार्य कर चुके है। उनका भी बकाया है। उसका भी भुगतान किया जाय।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- पिछले वर्ष जितनी संख्या में मजदूर दिये गये थे। उतनी ही संख्या में मजदूर रखने का आदेश दिया जाएगा। साथ ही पिछले वर्ष कराये गये कार्य का भी भुगतान किया जायेगा।

मद संख्या-03 :- **Construction of Paver work in the campus of Fuddi Pahalwan ke akhara in ward no.62 under Patna city division PMC patna, के संबंध में।**

अध्यक्ष :- **Paver work** का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के बढ़ते हुए शहरीकरण एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा स्थिति में वार्ड संख्या-62 में आधारभूत संरचना के तहत पेभर ब्लॉक कार्य की आवश्यकता महसूस की गई है।

माननीय वार्ड पार्षद के द्वारा आमलोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वार्ड संख्या-62 में आधारभूत संरचना के तहत पेभर ब्लॉक कार्य हेतु निवेदित किया गया है जिसके आलोक में संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नांकित है :-

क्र0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि
	Construction of Paver work in the campus of Fuddi Pahalwan ke akhara in ward no.62 under Patna city division PMC patna	3,51,004.00

अतः उक्त के आलोक में उपर्युक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह जनहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह जनहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या- 314 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Construction of Paver work in the campus of Fuddi**

महापौर
पटना नगर निगम

Pahalwan ke akhara in ward no.62 under Patna city division PMC patna जिसकी प्राक्कलित राशि 3,51,004.00 है, के प्रशसानिक स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मद संख्या-04 :- **Construction of Paver work in Nakhash Pind akhara in ward no.68 under Patna city division PMC patna. (Rs-4,56,856.00)**

अध्यक्ष :- Paver work का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के बढ़ते हुए शहरीकरण एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा स्थिति में वार्ड संख्या-68 में आधारभूत संरचना के तहत पेभर ब्लॉक कार्य की आवश्यकता महसूस की गई है।

माननीय वार्ड पार्षद द्वारा आमलोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वार्ड संख्या-68 में आधारभूत संरचना के तहत पेभर ब्लॉक कार्य हेतु निवेदित किया गया है जिसके आलोक में संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नांकित है :-

क्र0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि
	Construction of Paver work in Nakhash Pind akhara in ward no.68 under Patna city division PMC patna	4,56,856.00

श्री विनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह जनहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह जनहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-315 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया Construction of Paver work in Nakhash Pind akhara in ward no.68 under Patna city division PMC patna जिसकी प्राक्कलित

महापौर
पटना नगर निगम

राशि 4,56,856.00 है की प्रशसानिक स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मद संख्या-05 :- **सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय एवं यूरिनल निर्माण का अद्यतन प्रतिवेदन।**

अध्यक्ष :- इस मद का संलेख अप्राप्त है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, नगर निगम क्षेत्र में शौचालय की स्थिति काफी दयनीय है। उसका रख-रखाव नहीं हो रहा है। पिछली बैठक में स्वच्छांगिनी की सहायता से शौचालयों के रख-रखाव करने का निर्णय लिया गया था।

अध्यक्ष महोदया, शौचालयों के रख-रखाव हेतु संलेख अप्राप्त है। पिछली बैठक में भी संलेख नहीं आया था। लगता है कि इस योजना में गड़बड़ी हो रहा है। इसकी जाँच करायी जाय।

नगर आयुक्त :- पुराने शौचालयों की बन्दोबस्ती रद्द करने का निर्णय लिया गया था। मुख्य नगर अभियंता स्पष्ट करें कि उन शौचालयों जिसकी बन्दोबस्ती की अवधि समाप्त हो गयी है, को रद्द किया गया है कि नहीं?

मु०न०अभि० :- मुख्यालय के द्वारा बन्दोबस्ती की जाती है। लेकिन रद्द करने की कार्रवाई अंचल कार्यालय द्वारा किया जाता है, रद्द करने की सूचना अभी अप्राप्त है।

नगर आयुक्त :- अगली बैठक में निगम क्षेत्र के सभी शौचालयों की पूर्ण विवरण के साथ सूची उपलब्ध करायें। संबंधित अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी जाँच प्रतिवेदन/समीक्षोपरान्त रद्द करने की सूची उपलब्ध करायें।

बाँकीपुर अंचल के अन्तर्गत कदम कुआँ, रामपुर नहर, नूतन राजधानी अंचल के अन्तर्गत वीर चन्द पटेल पथ एवं एक्जीबिशन रोड, होटल लेमन ट्री पुल के नीचे शौचालय निर्माण का प्रस्ताव है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

इन शौचालयों में प्रवेश पीछे की ओर से रहेगा एवं आगे में विज्ञापन एवं सौन्दर्यीकरण रहेगा। यह शौचालय आकर्षक ढंग से बनाया जाय।

मद संख्या-06 :- **पटना नगर निगम क्षेत्र में जलापूर्ति हेतु एच0डी0पी0ई0 पाईप के स्थान पर डी0आई0/जी0आई0 पाईप के अधिष्ठापन हेतु नीतिगत निर्णय लेने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- डी0आई0/जी0आई0 पाईप के अधिष्ठापन हेतु नीतिगत निर्णय लेने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- मुख्य नगर अभियंता निगम क्षेत्र में एच0डी0पी0ई0 पाईप एवं डी0आई0 पाईप लगाने के संबंध में स्पष्ट करें।

मु0न0अभि0 :- माननीया अध्यक्ष महोदया, कार्यपालक अभियंता, जलापूर्ति शाखा के पत्रांक-1748, दिनांक-23.09.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि डी0आई0 पाईप एवं एच0डी0पी0ई0 पाईप लगाने पर 60 प्रतिशत राशि वृद्धि होने का अनुमान है।

जलापूर्ति पाईप लगाने हेतु सशक्त स्थायी समिति से पारित कर निगम पर्षद को अनुशंसित किया जा सकता है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मुख्य नगर अभियंता का प्रस्ताव अच्छा है, इसे पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह अच्छा प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-316 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्र में जलापूर्ति हेतु एच0डी0पी0ई0 पाईप के स्थान पर डी0आई0/जी0आई0 पाईप के अधिष्ठापन हेतु नीतिगत निर्णय लेने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

मद संख्या-07 :- **वार्ड संख्या-68 अन्तर्गत हाईयील्ड बोरिंग स्थापित करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- इस मद का संलेख अप्राप्त है।

नगर आयुक्त :- बुडको द्वारा टी०ए० प्राप्त होने के पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मद संख्या-08 :- **स्वच्छ सर्वेक्षण,2024 की तैयारी के अन्तर्गत अब तक किये गये कार्य एवं आगे की योजनाओं के संबंध में।**

अध्यक्ष :- इस मद का प्रतिवेदन अप्राप्त है।

मद संख्या-09 :- **वार्ड संख्या-62 के सती चौरा में उच्च प्रवाह नलकूप अधिष्ठापन के संबंध में।**

अध्यक्ष :- संलेख अप्राप्त है।

नगर आयुक्त :- बुडको द्वारा टी०ए० प्राप्त होने के पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मद संख्या-10 :- **वार्ड संख्या-34 स्थित बी-1 हाउसिंग के सामने निगम के जमीन पर नया उच्च प्रभावी बोरिंग अधिष्ठापन के संबंध में।**

अध्यक्ष :- संलेख अप्राप्त है।

नगर आयुक्त :- बुडको द्वारा टी०ए० प्राप्त होने के पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मद संख्या-11 :- निगम क्षेत्रान्तर्गत अम्बेदकर भवन के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के संबंध में।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष :- अम्बेदकर भवन के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बांकीपुर अंचल स्थित तीन स्थलों पर अम्बेदकर भवन निर्मित है। ये तीन जगह निम्नवत है:-

1. मछुआ टोली
2. नाला रोड पेट्रोल पम्प के सामने
3. वैशाली गोलम्बर के समीप बांकीपुर अंचल कार्यालय

प्रथम दो स्थलों पर स्लम से संबंधित लोगों को आवासित किया गया है। वैशाली गोलम्बर स्थित अम्बेदकर भवन में बांकीपुर अंचल सह प्रमंडल कार्यालय अवस्थित है। इसी भवन के नीचे निगम वाहनों का Workshop है, वहाँ गाड़ियों की धुलाई एवं मरम्मति कार्य कराया जाता है। तीनों भवनों की स्थिति जर्जर है। इन्हें तत्काल ही जीर्णोद्धार कराया जाना उचित प्रतीत होता है। वैशाली गोलम्बर स्थित अम्बेदकर भवन को कार्यालय उपयोग हेतु कुछ नये कमरे एवं सौन्दर्यीकरण कराया जाना आवश्यक है। तदनुसार तीनों भवनों को आवश्यकतानुसार जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मछुआ टोली एवं नाला रोड पेट्रोल पम्प के सामने जो अम्बेदकर भवन बना हुआ है, वह काफी जर्जर स्थिति में है। पटना नगर निगम का बांकीपुर अंचल एवं प्रमंडल कार्यालय भी वैशाली गोलम्बर अवस्थित अम्बेदकर भवन में चल रहा है। अतः मेरा सुझाव है कि उक्त तीनों स्थानों पर निर्मित अम्बेदकर भवन का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण उचित प्रतीत होता है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय। अगली बैठक में जहाँ-जहाँ अम्बेदकर भवन है, उसके सौन्दर्यीकरण एवं मरम्मति हेतु प्राक्कलन तैयार कर सशक्त स्थायी समिति के समक्ष में रखा जाय।

श्री विनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मछुआ टोली, नाला रोड पेट्रोल पम्प के सामने एवं वैशाली गोलम्बर तीनों जगहों पर अम्बेदकर भवन बना हुआ है। जो काफी जर्जर स्थिति में है। उसमें स्लम के लोग रहते है। स्लम लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्घटना घटित न हो जाए, उससे पूर्व ही उसकी मरम्मति एवं जीर्णोद्धार करा दी जानी चाहिए। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय। साथ ही निगम क्षेत्रान्तर्गत

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

जहाँ-जहाँ अम्बेदकर भवन है, उसके सौन्दर्यीकरण एवं मरम्मति हेतु प्राक्कलन तैयार कर सशक्त स्थायी समिति के समक्ष में रखा जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्यों के सुझाव से सहमत हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-317:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बांकीपुर अंचल स्थित तीन स्थलों पर निर्मित अम्बेदकर भवन जो निम्नवत है:-

1. मछुआ टोली
2. नाला रोड पेट्रोल पम्प के सामने एवं
3. वैशाली गोलम्बर के समीप बांकीपुर अंचल कार्यालय के **जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है, शेष अम्बेदकर भवन की सूची सौन्दर्यीकरण एव मरम्मति हेतु सशक्त स्थायी समिति की अगली बैठक में रखा जाय।**

मद संख्या-12 :- **सफाई कार्य में कार्यरत वाहनों के रख-रखाव के संबंध में।**

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है।

नगर आयुक्त :- वाहन पदाधिकारी, वाहनों के रख-रखाव के संबंध में स्पष्ट करें।

वाहन पदाधिकारी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, गाड़ियों की मरम्मति के कार्य में काफी सुधार हुआ है। मरम्मति के लिए आवश्यक सामानों का क्रय किया गया है और सुरक्षित भंडार में रखा गया है।

नगर आयुक्त :- प्राय: ऐसा पाया गया है कि खराब वाहन को भी चला रहे हैं और उस पर ज्यादा ईंधन की खपत होता है। निदेश है कि जो वाहन खराब है, उसे पहले वर्क शॉप में लाया जाय ताकि पता चले कि उसमें क्या खराबी है?

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, जहाँ-जहाँ वर्क शॉप खोले गये है। वहाँ मिस्त्री एवं उसके साथ काम करने वाले सहायक मिस्त्री भी रहना चाहिए।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से नगर आयुक्त साहब को कहना चाहता हूँ कि ई-रिक्शा में सुधार होना चाहिए। जो वाहन ज्यादा डैमेज है उसे बनाने पर भी फायदा नहीं होता है।

नगर आयुक्त :- अपर नगर आयुक्त, सभी कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दे कि जो भी वाहन खराब है या परिचालन लायक नहीं है। उसको सूचना वर्क शॉप को दें।

मद संख्या-13 :- **निगम स्वामित्व वाले 10(दस) Truck Mounted Sweeping Machine का Operation & Maintenance कार्य के लिए Shri Raja Rajeshwari EnterPrises एजेंसी की सेवा नयी निविदा होने तक विस्तार किये जाने की घटनोत्तर स्वीकृति।**

अध्यक्ष :- घटनोत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- निगम स्वामित्व वाले 10 (दस) Truck Mounted Sweeping Machine का Operation & Maintenance का कार्य Shri Raja Rajeshwari Enterprises एजेन्सी को कार्यालय आदेश पत्रांक 05733, दिनांक 12.04.2021 के द्वारा दिया गया है, जिसकी कार्यावधि दिनांक 31.03.2024 को समाप्त होने के पश्चात् दिनांक 31.07.2024 तक कार्यावधि विस्तार किया गया है।

विदित हो कि वर्तमान में Shri Raja Rajeshwari Enterprises एजेन्सी के द्वारा पटना नगर निगम के कंकड़बाग अंचल, बाँकीपुर अंचल, पटना सिटी अंचल तथा अजीमाबाद अंचल क्षेत्रों के प्रमुख तथा मुख्य सड़कों को Mechnical Sweeping के माध्यम से की जा रही है। पटना नगर निगम क्षेत्रों में उत्कृष्ट सफाई बनाये रखने हेतु स्वीपींग मशीन का उपयोग अतिआवश्यक है।

महापौर
पटना नगर निगम

उल्लेखनीय है कि नयी निविदा की प्रक्रिया हेतु अभियंत्रण शाखा (मुख्यालय) पटना नगर निगम के द्वारा आवश्यक दस्तावेज संग्रहित कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

अतः निगम स्वामित्व वाले 10 (दस) Truck Mounted Sweeping Machine का Operation & Maintenance कार्य के लिए Shri Raja Rajeshwari Enterprises एजेन्सी की सेवा नयी निविदा होने तक विस्तार किये जाने का प्रस्ताव है, जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री विनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पूजा आने वाला है। इसकी महत्ता को देखते हुए एजेंसी की सेवा अवधि विस्तार की घटनोत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव है। मेरा सुझाव है कि एजेंसी की सेवा अवधि का विस्तार दिसम्बर,2024 तक दी जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। Shri Raja Rajeshwari EnterPrises एजेंसी की सेवा अवधि विस्तार दिसम्बर, 2024 तक देने के प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या- 318 :- <u>सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निगम स्वामित्व वाले 10(दस) Truck Mounted Sweeping Machine का Operation & Maintenance कार्य के लिए Shri Raja Rajeshwari EnterPrises एजेंसी की सेवा दिसम्बर,2024 तक विस्तार किये जाने की घटनोत्तर स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।</u>

मद संख्या-14 :- **<u>निगम स्वामित्व वाले 06(छः) Self-Propolled Road Sweeping Machine(Dulevo 5000 evolution) का Operation & Maintenance कार्य के लिए Shri Raja Rajeshwari EnterPrises एजेंसी की सेवा नयी निविदा</u>**

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

होने तक एकरारनाम के आलोक में विस्तार किये जाने की घटनोत्तर स्वीकृति।

अध्यक्ष :- घटनोत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- निगम स्वामित्व वाले 06 (छः) Self-Propolled Road Sweeping Machine (Dulevo 5000 evolution) का Operation & Maintenance का कार्य Shri Raja Rajeshwari Enterprises एजेन्सी को कार्यालय आदेश पत्रांक 05734, दिनांक 12.04.2021 के द्वारा दिया गया है, जिसकी कार्यावधि दिनांक 31.03.2024 को समाप्त होने के पश्चात् दिनांक 31.07.2024 तक कार्यावधि विस्तार किया गया है।

विदित हो कि वर्तमान में Shri Raja Rajeshwari Enterprises एजेन्सी के द्वारा पटना नगर निगम के कंकड़बाग अंचल, बाँकीपुर अंचल, पटना सिटी अंचल तथा अजीमाबाद अंचल क्षेत्रों के प्रमुख तथा मुख्य सड़कों की Mechnical Sweeping के माध्यम से की जा रही है। पटना नगर निगम क्षेत्रों में उत्कृष्ट सफाई बनाये रखने हेतु स्वीपिंग मशीन का उपयोग अतिआवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि नयी निविदा की प्रक्रिया हेतु अभियंत्रण शाखा (मुख्यालय) पटना नगर निगम के द्वारा आवश्यक दस्तावेज संग्रहित कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

अतः निगम स्वामित्व वाले 06 (छः) Self-Propolled Road Sweeping Machine (Dulevo 5000 evolution) का Operation & Maintenance कार्य के लिए Shri Raja Rajeshwari Enterprises एजेन्सी की सेवा नयी निविदा होने तक विस्तार किये जाने पर निर्णय/विमर्श हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री विनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पूजा आने वाला है। इसकी महत्ता को देखते हुए एजेंसी को सेवा अवधि विस्तार की घटनोत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव है। मेरा सुझाव है कि एजेंसी की सेवा अवधि का विस्तार दिसम्बर,2024 तक दी जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। Shri Raja Rajeshwari EnterPrises एजेंसी की सेवा अवधि विस्तार दिसम्बर, 2024 तक देने के प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-319 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निगम स्वामित्व वाले 06(छः) Self-PropolledRoad Sweeping Machine (Dulevo 5000 evolution) का Operation & Maintenance कार्य के लिए Shri Raja Rajeshwari EnterPrises एजेंसी की सेवा दिसम्बर,2024 तक विस्तार किये जाने की घटनोत्तर स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-15 :- **वार्ड संख्या-22 के अन्तर्गत हाईयील्ड बोरिंग के अधिष्ठापन के संबंध में।**

अध्यक्ष :- इस मद का संलेख अप्राप्त है।

नगर आयुक्त :- बुडको द्वारा टी0ए0 प्राप्त होने के पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मद संख्या-16 :- **पटना नगर निगम क्षेत्र में जलापूर्ति पाईप लाईन विस्तार की योजना।**

अध्यक्ष :- जलापूर्ति पाईप लाईन विस्तार की योजना।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के बढ़ते हुए शहरीकरण एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा विभिन्न वार्डों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पाईप लाईन विस्तार योजनाओं की आवश्यकता महसूस की गई है।

महापौर
पटना नगर निगम

पटना नगर निगम के माननीय/माननीया पार्षद द्वारा वहाँ के आमलोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पाईप लाईन विस्तार योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु निवेदित किया गया है, जिसके आलोक में संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नांकित है:–

क्रम सं०	वार्ड संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलीत राशि
1	56	Laying HDPE pipe line in Rasida chauk karman chaudhary house to shiv nath house, Tilakdhari mahto to Tuntun Mahto and House to House Connection in ward no 56	34,89,813
2	56	Laying HDPE pipe line in Badi Pahari Parwesh Mahto House to Sarju Yadav house Badi Pahari Chauraha ganga Pardusan road and House to House Connection in ward no 56	39,93,440
3	24	Laying HDPE Pipe Line in Kabristan Chakarma and house to house connection at ward No-24	8,60,600

अतः वर्णित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सशक्त स्थायी समिति से विमर्श अपेक्षित है।

श्री विनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह जनहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इसे पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह जन उपयोगी योजना है, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या- 320:- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्र में निम्नलिखित जलापूर्ति पाईप लाईन विस्तार की योजना के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, सूची निम्नवत् है :-

क्रम सं०	वार्ड संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलीत राशि
1	56	Laying HDPE pipe line in Rasida chauk karman chaudhary house to shiv nath house, Tilakdhari	34,89,813

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

		mahto to Tuntun Mahto and House to House Connection in ward no 56	
2	56	Laying HDPE pipe line in Badi Pahari Parwesh Mahto House to Sarju Yadav house Badi Pahari Chauraha ganga Pardusan road and House to House Connection in ward no 56	39,93,440
3	24	Laying HDPE Pipe Line in Kabristan Chakarma and house to house connection at ward No-24	8,60,600

अ0म0द0संख्या-01 :- **आर्यकुमार रोड, महाराणा प्रताप के उत्तर स्थित निगम के खाली भूखण्ड को किराये पर आवंटन हेतु विमर्श के संबंध में।**

अध्यक्ष :- खाली भूखण्ड आवंटन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- वार्ड संख्या-42 के अन्तर्गत अमरूदी मुहल्ला यॉयज क्लब, वेल फेयर सोसाईटी के द्वारा आर्यकुमार रोड, महाराणा प्रताप भवन के उत्तर स्थित निगम के खाली भूखण्ड को दिनांक-09.10.2024 से 12.10.2024 तक किराये पर लेने का अनुरोध किया गया है। जिसका रकबा 3000 वर्गफीट है। उक्त भूखण्ड पर दुर्गा पूजा के अवसर पर मनोरंजन के लिए झूला एवं खान पान का स्टॉल लगाने का प्रस्ताव है। निगम के राजस्व एवं वहाँ बच्चों एवं मेला में आने वाले लोगों के हित को देखते हुए पूर्णतः अस्थायी रूप से किराये पर देने हेतु प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष निर्णय हेतु रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, दुर्गा पूजा के अवसर पर मेला देखने काफी संख्या में लोग आते हैं। उनके मनोरंजन हेतु इसकी स्वीकृति दी जा सकती है। साथ ही निगम को राजस्व भी प्राप्त होगा।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हैं। इस प्रस्ताव को पारित किया जाए।

प्रस्ताव सं0-321 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आर्यकुमार रोड, महाराणा प्रताप के उत्तर स्थित निगम के खाली भूखण्ड पर अस्थायी तौर पर दुर्गा पूजा के अवसर पर निगम के राजस्व

महापौर
पटना नगर निगम

हित को देखते दिनांक-09.10.2024 से 12.10.2024 किराये पर 3000 वर्गफीट भूखंड पूर्व से निर्धारित दर पर आवंटित करने के प्रस्ताव को के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अ0मद0संख्या-02 :- जल-जमाव से निजात हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

अध्यक्ष :- प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न वार्डों में जल–जमाव से निजात पाने हेतु पक्के नालों/पी0सी0सी0 पथ के निर्माण के लिए योजना लाई गयी है। विदित हो कि विगत वर्ष 2019 में अतिवृष्टि /बाढ़ से हुए जल–जमाव के कारण आम जनता को भीषण कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था।

पटना नगर निगम के माननीया पार्षद द्वारा वहाँ के आमलोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सड़क निर्माण से संबंधित योजना के निर्माण कार्य हेतु निविदित किया गया है, **जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-**

S.No.	Name of Work	Estimated Amount
1	Construction of PCC Road & U/G Drain Md. Firoz ji House to Sayad Vasif Ji Ahamed in Milta Colony in Ward no. 03.	8,28,000.00

जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री विनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह जल-जमाव से संबंधित योजना है। इसकी स्वीकृति देने से संबंधित वार्ड की जनता को काफी राहत मिलेगी। इसे पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0-322 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड संख्या–03 में **PCC Road & U/G Drain** के निर्माण के प्रस्ताव को सशक्त

महापौर
पटना नगर निगम

स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसकी सूची निम्नवत् है :–

S.No.	Name of Work	Estimated Amount
1	Construction of PCC Road & U/G Drain Md. Firoz ji House to Sayad Vasif Ji Ahamed in Milta Colony in Ward no. 03.	8,28,000.00

अ0मद0संख्या-03 :- पटना नगर निगम अन्तर्गत जलापूर्ति शाखा में कार्यरत 26 संविदा पम्प श्रमिकों के सेवा विस्तार के संबंध में।

अध्यक्ष :- जलापूर्ति शाखा में कार्यरत 26 संविदा पम्प श्रमिकों के सेवा विस्तार का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- सशक्त स्थायी समिति की 8वीं साधारण बैठक के मद संख्या-13, प्रस्ताव संख्या-177, दिनांक-29.01.2024 द्वारा 26 संविदा पम्प श्रमिकों के सेवा विस्तार की स्वीकृति दी गयी थी। जिसकी अवधि समाप्त हो गयी है। पुनः 01.10.2024 से एक वर्ष के लिए संविदा अवधि विस्तार हेतु प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, जलापूर्ति की महत्ता को देखते हुए इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह कर्मचारी एवं निगमहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0-323 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम अन्तर्गत जलापूर्ति शाखा में कार्यरत 26 संविदा पम्प श्रमिकों के सेवा विस्तार दिनांक 01.10.2024 से एक वर्ष के लिए किये जाने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

अ०मद०संख्या-04 :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत **Compressed Bio-Gas (100TPD) के अधिष्ठान की स्वीकृति के संबंध में।**

अध्यक्ष :- **Compressed Bio-Gas (100TPD) के अधिष्ठान** का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम का क्षेत्र लगभग 109.21 वर्ग कि०मी० है जो 75 वार्डों में बंटा है। कुल Municipal Waste पटना में लगभग 936 TPD है जो प्रति व्यक्ति 442 ग्राम आँकी गई है। पटना शहरी क्षेत्र के Municipal Waste के निस्तारण हेतु MOHUA के द्वारा 100 TPD क्षमता का Compressed Bio-Gas(CBG) स्थापित करने का निर्णय किया गया है। CBG Plant लगाने का स्थल रामाचक बैरिया में निर्धारित किया गया है जिसके लिए 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। 100 TPD Municipal Wet Waste से लगभग 3.5 TPD CBG का उत्पादन अनुमानित है जिसे Cylinder में Store कर या गैस पाईप लाईन के द्वारा संबंधित को भेजा जा सकेगा। इस प्लांट में 100 TPD Segregate Municipal Wet Waste की आवश्यकता होगी जिसमें 10 प्रतिशत से कम अशुद्धि ही मान्य होगी।

MOHUA के द्वारा Engineers India Limited को DPR बनाने हेतु चयन किया गया है। EIL ने इसकी अनुमानित लागत 27.00 करोड़ प्रतिवेदित किया है। यह कार्य PPP(Public Private Partnership) के संकल्पनाओं पर आधारित होगी। इस कार्य में केन्द्र के द्वारा 25 प्रतिशत व्यय एवं राज्य के 75 प्रतिशत राशि वहन की जायेगी। स्थानीय निकायों के द्वारा इस पर व्यय करने का कोई भार नहीं होगा। अतः उपरोक्त के आलोक में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत Compressed Bio-Gas(100 TPD) के अधिष्ठापन की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष निर्णय/विमर्श हेतु रखा गया है।

अपर नगर आयुक्त :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि MOHUA के द्वारा Engineers India Limited को DPR बनाने हेतु चयन किया गया है।इस कार्य में लगभग 27.00 करोड़ व्यय होने का

महापौर
पटना नगर निगम

अनुमान है। इस कार्य में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा राशि वहन की जायेगी।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह निगमहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस कार्य में राशि भारत सरकार द्वारा 25 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 75 प्रतिशत व्यय किया जाना है। यह निगमहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0-324 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत Compressed Bio-Gas (100TPD) के अधिष्ठान की स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है। जिसके अधिष्ठापन पर 27 करोड़ रू0 व्यय होने का अनुमान है, इस कार्य में केन्द्र के द्वारा 25 प्रतिशत व्यय एवं राज्य के 75 प्रतिशत राशि वहन की जायेगी।**

अ0मद0संख्या-06 :- **Construction of Boundry wall, Office Room, Toilet Block, Pathway, Staff Room Near Rajendra Nagar (North Of Railway station) for cow shade under PIU ,PMC के संबंध में।**

अध्यक्ष :- निगम क्षेत्र में गौशाला खोलने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न वार्डों में खटालों में गाय रखकर स्थलों को अतिक्रमित किया जा रहा है। उन खटालों में वृहत संख्या में गायों को रखा जाता है। उन खटालों से गायों को पकड़ कर रखने हेतु एवं ऐसी गायें जो वाहनों के चपेट में आ जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, वैसी परिस्थिति में उन गायों को किसी निश्चित स्थान पर रखने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में पी0आई0यू0 के अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरान्त प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नांकित है :-

महापौर
पटना नगर निगम

क्र0	कार्य विवरण	प्राक्कलित राशि
01.	**Construction of Boundry wall, Office Room, Toilet Block, Pathway, Staff Room Near Rajendra Nagar (North Of Railway station) for cow shade under PIU ,PMC**	61,34,075.00

उक्त योजना के कुल प्राक्कलित राशि – 61,34,075.00 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सशक्त स्थायी समिति से विमर्श अपेक्षित है। गुजरात शहर के गौशालों में छोटी-छोटी गायें रखा जा रहा है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, बिहार के वातावरण को देखते हुए गौशाला में देशी गाय रखना ज्यादा लाभप्रद होगा और शहरवासियों को इसका लाभ मिलेगा। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती कांति देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह अच्छा प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-325 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत Construction of Boundry wall, Office Room, Toilet Block, Pathway, Staff Room Near Rajendra Nagar (North Of Railway station) for cow shade under PIU ,PMC जिसकी प्राक्कलित राशि 61,34,075.00 है, के प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

अ0मद0संख्या-07 :- **Construction of Boundry wall, Office Room, Toilet Block, Pathway, Staff Room at Digha for cow shade under PIU ,PMC के संबंध में।**

अध्यक्ष :- निगम क्षेत्र में गौशाला खोलने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न वार्डों में खटालों में गाय रखकर स्थलों को अतिक्रमित किया जा रहा है। उन खटालों में वृहत संख्या में गायों को रखा

महापौर
पटना नगर निगम

जाता है। उन खटालों से गायों को पकड़ कर रखने हेतु एवं ऐसी गायें जो वाहनों के चपेट में आ जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, वैसी परिस्थिति में उन गायों को किसी निश्चित स्थान पर रखने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में पी0आई0यू0 के अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरान्त प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नांकित है :

क्र0	कार्य विवरण	प्राक्कलित राशि
01.	**Construction of Boundry wall, Office Room, Toilet Block, Pathway, Staff Room at Digha for cow shade under PIU ,PMC**	**69,72,120.00**

उक्त योजना के कुल प्राक्कलित राशि - 69,72,120.00 रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सशक्त स्थायी समिति से विमर्श अपेक्षित है।

श्री विनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, प्रायः देखा जा रहा है कि शहर में जहाँ-तहाँ लोग गौशाला खोले हुए है। जिससे उसके आस पास रहने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है तथा गाय को खुले रोड पर छोड़ देते है, जिससे अतिक्रमण एवं दुर्घटना की समस्या बनी रहती है। अतः गौशाला बनाने का प्रस्ताव अच्छा है, इसे पारित किया जाय

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-326 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत Construction of Boundry wall, Office Room, Toilet Block, Pathway, Staff Room at Digha for cow shade under PIU ,PMC जिसकी प्राक्कलित राशि 69,72,120.00 है, की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

पटना नगर निगम ★ PATNA MUNICIPAL CORPORATION ★

अ0मद0संख्या-08 :- **Construction of Boundry wall, shade and platform for Establishment and processing of 10 TPD mix based at transport nagar,**

महापौर
पटना नगर निगम

kankarbagh,Patna Under PIU ,PMC के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

अध्यक्ष :- स्वच्छता भारत मिशन के तहत ठोस कचरा प्रबंधन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- स्वच्छ भारत मिशन एवं ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के अनुसार सभी नगर ईकाई को अपने नगर क्षेत्र में कचरा संग्रहण, भंडारण, परिवहन एवं निस्तार हेतु कार्य किया जाना है। आज के दिन में कचरा का सही प्रबंधन एक चुनौती बन गई है, अतः इन कचरा का प्रबंध **National Institute of Technical Teachers Training and Research, Chandigarh (NITTTOR)** के साथ **MOU** किया गया है। **NITTTR** द्वारा **Gross Instant Mixed Municipal Solid Training and Transfer Mode** पर **10TPD MSW** का प्लांट अधिष्ठापित किया जायेगा। इस परिप्रेक्ष्य में पी०आई०यू० के अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरान्त प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी विवरणी प्राप्त है :-

क्र०	कार्य विवरण	प्राक्कलित राशि
01.	Construction of Boundry wall, shade and platform for Establishment and processing of 10 TPD mix based at transport nagar, kankarbagh,Patna Under PIU ,PMC	69,51,046.00

श्री विनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह जनहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह जनहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0-327 :- <u>सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Construction of Boundry wall, shade and platform for Establishment and processing of 10 TPD mix based at transport</u>

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

nagar, kankarbagh,Patna Under PIU ,PMC जिसकी प्राक्कलित राशि 69,51,046.00 है की प्रशासनिक स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रदान की जाती है।

अ०मद०संख्या-10 :- **मौर्यलोक परिसर में सुरक्षा बचाव हेतु विभिन्न कार्यों की स्वीकृति के संबंध में।**

अध्यक्ष :- मौर्यलोक परिसर में सुरक्षा बचाव हेतु विभिन्न कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के अंतर्गत मौर्यालोक काम्पलेक्स एक बहुत ही बड़ा व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, जहाँ पटना शहरवासी विभिन्न दैनिक उपयोग की सामग्री क्रय करते है। इस कम्पलेक्स में पाँच बहुमंजिला भवन है–BLOCK-A,B,C,D एवं मौर्याटावर। इस कॉम्प्लेक्स में सभी नामी ब्रांड के दुकानों के अलावा सरकारी, अर्द्धसरकारी बैंक एवं कार्यालय है। पटना नगर निगम का भी मुख्यालय इसी कॉम्पलेक्स में है।

विगत दिनों पटना शहर में कई बहुमंजिला भवनों में आग लगने की घटना हुई है। कई घटनाओं में तो कई लोगों की जान भी गई है। इन घटनाओं को रोकने के लिए जिला अग्निशामालय विभाग से कई बार मौर्यालोक परिसर का अग्नि अंकेक्षण भी की गई है। अग्नि अंकेक्षण दल की अनुशंसाओं के आलोक में परिसर में स्थित सभी भवनों में अग्नि सुरक्षा से संबंधित कार्य करने हेतु परामर्श प्राप्त है। इस परामर्श के आलोक में सभी बहुमंजिली भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा हेतु अलग अलग अनुशंसाएँ की गई है। ज्ञातव्य है कि BLOCK-C भवन में अग्नि सुरक्षा से संबंधित पूर्व में कई कार्य किए गए हैं जो कि वर्तमान में निष्क्रिय अवस्था में है।

अतएव अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में निम्न निर्णय लिए जाने हेतु सशक्त स्थायी समिति से विमर्श अपेक्षित है:–

1. BLOCK-C भवन में पूर्व से अधिष्ठापित निष्क्रिय कार्य की मरम्मति कर तीन वर्षों के वार्षिक मरम्मति एवं संचालन के लिए किसी एजेंसी को निविदा के माध्यम से दी जा सकती है।
2. मौर्यालोक परिसर में अवस्थित शेष चार भवनों के लिए अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में विभिन्न कार्य कराया जा सकता है। विभिन्न कार्य कराने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा गया है।

पटना नगर निगम ★ PATNA MUNICIPAL CORPORATION

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, आये दिन मौर्यालोक कम्पलेक्स में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटना होती रहती है।

महापौर
पटना नगर निगम

जिसको देखते हुए इस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मौर्यालोक कम्पलेक्स में सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0-328 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अग्निशमन अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में **मौर्यलोक परिसर में सुरक्षा व्यवस्था हेतु निम्न निर्णय लिया गया है :-**

1. BLOCK-C भवन में पूर्व से अधिष्ठापित निष्क्रिय कार्य की मरम्मति कर तीन वर्षों के वार्षिक मरम्मति एवं संचालन के लिए किसी एजेंसी को निविदा के माध्यम से देने की स्वीकृति एवं

2. मौर्यालोक परिसर में अवस्थित शेष चार भवनों के लिए अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में विभिन्न कार्य कराये जाने के प्रस्ताव को अगली सशक्त स्थायी समिति में प्राक्कलन बना कर उपस्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करती है।

अ0मद0संख्या-11 :- **पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत रोबोटिक पद्धति से मेनहोल की सफाई हेतु दो अदद एडवांस मेनहोल क्लीनिंग रोबोट,Bandicoot Mobility + interegated with vehicle के क्रय के संबंध में।**

अध्यक्ष :- Bandicoot Mobility + interegated with vahicle के क्रय का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सभी मैनहॉलों की साफ-सफाई मॉनसून के पूर्व एवं आवश्यकतानुसार समय-समय पर की जाती है। इन मैनहॉलों की साफ-सफाई में कुछ जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, इन जटिलताओं को कम करने एवं मैनहॉलो की सफाई को सरल बनाने हेतु तकनीक का उपयोग किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। इसी संदर्भ में मैनहॉल की सफाई हेतु Advanced Manhole Cleaning Robot, Bandicoot Mobility+, Integrated With Vehicle का उपयोग किया जा सकता है, इस Advanced Manhole Cleaning Robot + Bandicoot V2.0, Light Motor Vehicle (BS VI) Including Registratio Charges, Hydraulic Powered Robot Handling System एवं Inbulid Waste Dumper, Online Software With Work Monitoring, Asset Management, People Management, Report Generation and Data Collection Including Operation Time, Waste

महापौर
पटना नगर निगम

Type and Quantiy, GPS Tracking,PPE Kit एवं One Year Warranty शामिल है। अतएव 02 अदद Advanced Manhole Cleaning Robot, Bandicoot Mobility+, Integrated With Vehicle क्रय करने की स्वीकृति जिसकी कुल राशि– 2,19,55,500.00 (GST सहित) रूपये मात्र की स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति से विमर्श अपेक्षित है।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम क्षेत्र में काफी संख्या में मेनहोल है, जिसकी सफाई बरसात के पूर्व आवश्यक होता है। मेनहोल की सफाई में मजदूरों को काफी दिक्कत होती है और दुर्घटना का भय बना रहता है। रोबोटिक पद्धति से मेनहोल की सफाई करने में कोई समस्या नहीं होगी। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

उप-महापौर :- माननीया अध्यक्ष महोदया, रोबोटिक पद्धति से मेनहोल की सफाई कराना निगम एवं कर्मचारी हित में है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0-329 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत रोबोटिक पद्धति से मेनहोल की सफाई हेतु दो अदद एडवांस मेनहोल क्लीनिंग रोबोट,Bandicoot Mobility + interegated with vehicle के क्रय जिसकी कुल राशि 2,19,55,500.00 (GST सहित) रूपये मात्र है के क्रय C.S.R. Hudco के द्वारा करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।**

अ0म0द0संख्या-12 :- **पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, विघटित(अब पटना नगर निगम) द्वारा आवासीय उपयोग हेतु लीज प्रणाली पर आवंटित भवनों/भूखंडों को लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड में परिवर्तन करने हेतु वैसे आवंटी/भू-धारक जिनके द्वारा भवनों /भूखण्डों का इस कार्यालय को सूचित किये बिना क्रय विक्रय के उपरान्त क्रेताओं द्वारा नामान्तरण नहीं कराया गया है, से**

महापौर
पटना नगर निगम

''एक कालिक परिवर्तन प्रभार शुल्क 10 प्रतिशत राशि के अतिरिक्त शुल्क प्राप्त करने हेतु नीति निर्धारण के संबंध में।

अध्यक्ष :- ''एक कालिक परिवर्तन प्रभार शुल्क 10 प्रतिशत राशि के अतिरिक्त शुल्क प्राप्त करने हेतु नीति निर्धारण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–5620, दिनांक–01.11.2018 एवं पत्रांक–3068, दिनांक–21.06.2019 से प्राप्त दिशा–निर्देश के आलोक में पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, विघटित (अब पटना नगर निगम) द्वारा आवासीय उपयोग हेतु लीज प्रणाली पर आवंटित भवनों/भूखण्डों को लीज–होल्ड से फ्री–होल्ड में परिवर्तन करने हेतु एक कालिक परिवर्तन प्रभार शुल्क (अद्यतन बाजार दर का 10 प्रतिशत) राशि प्राप्त कर फ्री–होल्ड करने के संबंध में सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक–29.01.2019 के मद सं0–03, प्रस्ताव सं–272 से निर्णय लिया गया है, जिसकी स्वीकृति निगम पर्षद के मद सं0–05, प्रस्ताव सं0–90 से प्रदान की गयी है।

सशक्त स्थायी समिति एवं निगम पर्षद द्वारा लिये गये निर्णय से इस कार्यालय के पत्रांक–2216, दिनांक–13.02.2019 के द्वारा प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को अवगत कराते हुये राज्य सरकार के अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है ताकि योजना को शीघ्र लागू किया जा सकें।

इस कार्यालय द्वारा निर्गत उक्त पत्रांक–2216, दिनांक–13.02.2019 के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराये गये पत्रांक–5345, दिनांक–11.10.2019 से यह संसूचित करते हुए कि–

पटना नगर निगम के पत्रांक–2216, दिनांक–13.02.2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त किये जाने के निमित्त संलेख प्रारूप पर वित्त विभाग द्वारा इस शर्त के साथ सहमति दी गई कि प्रस्ताव पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को मंतव्य प्राप्त कर लिया जाय। तदनुसार प्रस्ताव पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का मंतव्य प्राप्त करने के क्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा सहमति के पूर्व निम्न बिन्दुओं पर मंतव्य की मांग की गयी है–

I. पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के पूर्व इन भू–खण्डों पर मूल मालिकाना हक किसका था/साथ ही उस समय उसका Legal Rights क्या था?

II. पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार को यह भूखण्ड किस प्रकार और किस प्रयोजन से प्राप्त हुआ है?

III. जब पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार को यह भू–खण्ड प्राप्त हुआ था, उस समय उसका Legal Rights क्या था और विघटन के बाद उस Legal Rights का अस्तित्व क्या है अर्थात् विघटन के बाद वह Legal Rights कहाँ अन्तर्निहित हो चुका है?

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

IV. क्या भू-लगान की स्थिति विघटन के पूर्व जो है वही Freehold के बाद रहेगा या उसमें किसी प्रकार के बदलाव की संभावना है? यदि संभावना है तो उसका बदलाव का स्वरूप क्या होगा?

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के द्वारा उक्त बिन्दुओं के आलोक में स्पष्ट एवं विस्तृत स्थिति से अवगत कराने हेतु सूचित किया गया है, ताकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

राज्य सरकार द्वारा बिहार टाउन प्लानिंग एण्ड इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट एक्ट, 1951 को निरसित करते हुए बिहार क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अध्यादेश, 1975 एवं तदोपरांत बिहार क्षेत्रीय विकास प्राधिकार एक्ट, 1981 को प्रभावी किया गया तथा पुनः बिहार क्षेत्रीय विकास प्राधिकार ऐक्ट, 1981 को निरसित करते हुए राज्य सरकार के द्वारा बिहार नगर पालिका अध्यादेश 2007 एवं तदोपरांत बिहार नगर पालिका ऐक्ट 2007 को प्रभावी किया गया है।

राज्य सरकार के द्वारा क्रमशः बिहार टाउन प्लानिंग एण्ड इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ऐक्ट, 1951 के तहत पटना इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट तदोपरांत बिहार क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अध्यादेश, 1975 एवं बिहार क्षेत्रीय विकास प्राधिकार ऐक्ट, 1981 गठन के आलोक में पटना इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, को विघटित करते हुए पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार एवं पुनः बिहार नगर पालिका अध्यादेश 2007 तदोपरान्त बिहार नगरपालिका ऐक्ट 2007 प्रभावी करते हुये पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार को विघटित कर पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पटना नगर निगम में अंतरित किया गया है।

बिहार टाउन प्लानिंग ऐण्ड इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ऐक्ट, 1951 के नियम-134(Powers of the Trust to make rules) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये M/R2-302/56-11413-L.S.-G. Notification No.- 414- L.S.-G. दिनांक-12.01.1957 से पटना इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट क्षेत्र के लिए पटना इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट (भू-निस्तार) नियमावली, 1957 को राज्य सरकार द्वारा प्रभावी बनाया गया तथापटना इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के विघटन के उपरान्त गठित पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के कार्यकाल में राज्य सरकार द्वारा S.O. 1554 दिनांक-08.11.1979 से बिहार क्षेत्रीय विकास प्राधिकार Second Ordinance, 1978 (Bihar Ordinance No. 33 of 1978) की धारा 79 की उपधारा-(2)(a) सहपठित Section 27 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (भू-निस्तार) नियमावली, 1978 पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार क्षेत्र के लिए प्रावधानित किया गया एवं वर्तमान में प्रभावी बिहार नगर पालिका अध्यादेश 2007 तदोपरांत बिहार नगर पालिका ऐक्ट 2007 के नियम 415 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा भू-निस्तार से नियमावली प्रावधानित नहीं किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा बिहार टाउन प्लानिंग एण्ड इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट एक्ट, 1951 के नियम-134(Powers of the Trust to make rules)की शक्तियों का प्रयोग करते हुये M/R2-302/56-11413-L.S.-G. Notification No.- 414- L.S.-G. दिनांक-12.01.1957 से पटना इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट क्षेत्र के लिए प्रावधानित पटना इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट (भू-निस्तार) नियमावली, 1957 की कंडिका-19, 20, 21 एवं 22 निम्नवत् उद्धृत है:-

19. Transfer of land lease or sold by the Trust- No Plot or part thereof leased or sold by the Trust shall be transferred by sale or gift within a period of ten years from the date of lease or sale without the permission of the Trust.

महापौर
पटना नगर निगम

20. Terms and conditions of lease or sales - All leases or sales made under these rules shall be subject to such terms and conditions as may be laid down by the Trust and incorporated in the deed of lease or sale.

21. Contravention of provision of these rules- (1) If at any time subsequent to the execution of any deed of lease or sale it is discovered that the lease or sale has been made in contravention of any of these rules, the same shall be void and shall stand revoked.

(2) Any lease or sale, in respect of which there has been breach at any time after the execution of the deed of lease or sale of any terms and conditions laid down by the Trust shall be liable to revocation at the option of the Trust.

22. Unprovided contingencies - In cases which are not provided for by these rules, the matter shall be dealt with in the manner decided by the Trust with the approval of the State Government, or in accordance with such instructions as may be issued to the Trust by the State Government.

पुनः राज्य सरकार के द्वारा पटना उन्नयन न्यास के विघटन के उपरान्त S.O. 1554 दिनांक–08.11.1979 के द्वारा बिहार क्षेत्रीय विकास प्राधिकार Second Ordinance, 1978 (Bihar Ordinance No. 33 of 1978) की धारा 79 की उपधारा–(2)(a) सहपठित Section 27 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (भू–निस्तार) नियमावली, 1978 पटना क्षेत्रीय विकास क्षेत्र के लिए प्रख्यापित किया गया। भू–निस्तार नियमावली–1978 के नियम–20, 21, 22 एवं 23 निम्नवत उद्धृत है–

20. Transfer of land leased by the Authority - "No plot or part there of leased by the Authority shall be transferred by sale or gift within a period of ten years from the date of lease without the permission of the Authority:

Provided that the intention to transfer of land along with the conditions of lease shall be indicated in writing to the Authority well in time before the transfer of the land takes place even in cases where a period of ten years have expired:

Provided further that the Authority shall have the first right to resume the land after reimbursing the premium paid by the allottee together with an interest at the rate of 6 per cent per annum on the premium paid by the allottee.

Further that where the Authority grants permission for the transfer of land, the allottee shall pay a mutation fee equal to 50 per cent of excess of sale price over the premium paid by him. This however, shall not be less than 10 per cent of the premium charge by the Authority by leasing out the plot:

Provided further that the bifurcation of any land or property leased by the Authority shall not take place or its use converted from the use for which the land was leased without the prior approval of the Authority as required under Section 32 of the Ordinance."

21. Terms and conditions of leases - (i) All leases made under these rules shall be subject to such terms and conditions as may be laid down by the Authority and incorporated in deed of lease.

(ii) All mutations arising out of transfers in conformity with terms and conditions of the lease shall be approved by the Vice-Chairman or such other Officer as may be empowered by the Authority.

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

22. Contravention of provisions of these rules. - (1) if at any time subsequent to the execution of any deed of lease, it is discovered that the lease has been made in contravention of any of these rules, the same shall be void and shall stand revoked.

(2) Any lease, in respect of which there has been a breach at any time after the execution of the deed of lease of any terms or conditions laid down by the Authority shall be liable to revocation at the option of the Vice-Chairman or the Authority, or such officer of the Authority as may be empowered by the Authority.

23. Unprovided contingencies - In cases which are not provided for by these rules the matter shall be dealt within the manner decided by the Authority with the approval of the State Government or in accordance with such instructions as may be issued to the Authority by the State Government.

पटना इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट सम्प्रति पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, अब पटना नगर निगम द्वारा लीज–प्रणाली पर आवासीय उपयोग के लिए आवंटित फ्लैटों/भवनों/भूखण्डों का नामान्तरण वर्तमान समय में पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (भू–निस्तार) नियमावली, 1978 में सन्निहित प्रावधानों के आलोक में किया जाता है।

प्रायः यह पाया जा रहा है कि पूर्व के कुछ आवंटियों के द्वारा पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार/पटना नगर निगम को सूचित किये बिना लीज–प्रणाली पर आवासीय उपयोग के लिए आवंटित फ्लैटों/भवनों/भूखण्डों का विक्रय (लीज अधिकार हस्तानान्तरण अथवा केवाला वपकतामी) अन्य व्यक्तियों के साथ किया जा रहा है तथा वैसे अधिकांश क्रेताओं के द्वारा लीज की सम्पत्ति का पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार/ पटना नगर निगम से नामान्तरण का कार्य नहीं कराया गया है और ना ही क्रेताओं के द्वारा कोई सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है।

बिना सूचना के क्रय–विक्रय के उपरान्त कुछ क्रेताओं के द्वारा (भू–निस्तार) नियमावली, 1978 के तहत फ्लैटों/भवनों/भूखण्डों का नामान्तरण हेतु इस कार्यालय में उपलब्ध कराये गये आवेदन के आलोक में आवंटी/क्रेता को (भू–निस्तार) नियमावली, 1978 के नियम–20 में निहित प्रावधानों के आलोक में म्यूटेशन फी भुगतान हेतु माँग–पत्र पत्र निर्गत किये गये हैं। म्यूटेशन फी के भुगतानार्थ इस कार्यालय द्वारा निर्गत माँग–पत्र के विरूद्ध कुछ क्रेताओं के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पटना उन्नयन न्यास के समय में निष्पादित लीज–डीड में सन्निहित शर्तें का हवाला देते हुये याचिका दाखिल की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल याचिकाओं में निम्नवत पारित किया गया है, यथा–

(01.) राजेन्द्र नगर स्थित लीज भूखंड सं0–309 टाईप–बी, ब्लॉक–बी के क्रेता संजय सिंह के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल याचिका CWJC No.13886 of 2011 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–10.07.2013 को निम्नवत आदेश पारित किया गया है–

"Thus, in my opinion the PRDA cannot ask the allottee to part with 50% of the earned amount even in view of the Rule 20 of PRDA (Disposal of Land) Rules 1978 also as that would be required only if the transfer is being made within ten years from the date of execution of deed of lease in favour of the allottee, which is admittedly not been done in the case in hand. Accordingly, the issue no.(i) is answered in affirmative and issue no.2 is answered in negative. The writ petition stands allowed and the impugned communication contained in Annexure-5 is quashed"

(02.) श्री कृष्णापुरी स्थित लीज भूखंड सं0–116 टाईप–ई के क्रेता सुजय चंद्र सन्नीग्रही के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल याचिका CWJC No.14908 of 2012 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–06.02.2019 को निम्नवत आदेश पारित किया गया है–

महापौर
पटना नगर निगम

"The petitioner would be entitled to the reliefs prayed for in the writ application, as a result thereof, letter no.2493 dated 06.06.2000 (Annexure-9) by which the respondent no.2 has called upon the petitioner to deposit Rs.60450.60 to enable consideration of his application for mutation as also the undated order of the respondent no.2 contained in memo no.3958 dated 25.07.2012 by which the petitioner has been directed to deposit a sum not specified but 50% of the profit at government rates to get mutation done are hereby quashed.

The respondent no.3 is directed to take steps to record the name of the petitioner as lessee of "E" Type Plot No.116 of Sri Krishnapuri Housing Scheme at Patna of the Patna Improvement Trust (as it then was) in place of the original lessee Sri Prabhu Sharan in whose favour lease deed no.740 dated 24.02.1973, as contained in Annexure-"1" to the present writ application, has been executed and registered and who has sold the property in question in favour of the petitioner vide sale deed no.5293 dated 16.06.1983.

All consequential actions shall be taken by the respondent no.3 in terms of the order of this Court in the case of Sanjay Singh Vs. The State of Bihar reported in 2015(2) PLJR 58.

This writ application stands disposed off accordingly."

(03.) श्री कृष्णापुरी स्थित लीज भूखंड सं0–87 टाईप–ई के क्रेता शकुंतला सिंह के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल याचिका CWJC No.18306 of 2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–23.04.2024 को निम्नवत आदेश पारित किया गया है–

"18.So far as objection raised on behalf of the Patna Municipal Corporation is concerned, the petitioner is not the legal heir or successor of the original lessee namely Ashok Kumar Sharma. The said objection cannot be accepted on the ground that the very indenture which has been entered into between the lesser and lessee binds their heir, assigned on the same terms and conditions as contained in the lease deed and in the recital of the Indenture made on 13th day of January in the year 1972 between the Chairman of the Patna Improvement Trust (the original lesser) and Shri Ashok Kumar Sharan, Son of N. K. Sharan (the original lessee), explicitly in agreed terms that the "term wherever the context herein as so admits shall beside his/her heir, survivors, successors and assigned of the other part witnesses as follows

19. Thus, the very indenture is specific that heirs or the assigned besides him i.e. original lesser and lessee, in absence of any objection having been made in regard to the right which has been created to the assigned thereto.

20. The Authority of the Patna Municipal Corporation cannot deviate from the Rules of Conveyancing and the Agreement which has been entered into by their predecessor which binds them to abide by the terms and conditions of the agreement in accordance with the recital of the lease deed dated 23.06.1972 .

21. I find it proper to direct the Municipal Commissioner to delete Clause 2 from the terms and conditions of the order dated 02.07.2022 contained in Memo No.9469. The other part of the said order shall remain intact.

22. Accordingly, the present writ application stands disposed of."

(04.) राजेन्द्र नगर स्थित लीज भूखंड सं0– 157 टाईप–सी, ब्लॉक नं0–बी के क्रेता विपिन त्रिवेदी एवं अंजना त्रिवेदी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल याचिका CWJC

महापौर
पटना नगर निगम

No.2121 of 2024 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–20.08.2024 को निम्नवत आदेश पारित किया गया है–

"19. So far as the demand made vide letter no. 14515 dated 28.11.2023 issued by the Estate Officer of "the PMC" (Annexure-P/9) is concerned, the same in the aforesaid facts and the circumstances and following Sanjay Singh (supra) judgment needs interference. It is accordingly quashed.

20. The petitioners will be approaching "the PMC" in next four weeks along with the proper application and requisite fee for the mutation of the plot in question and "the PMC" shall be duty-bound to complete the process in the next three months.

21. The writ petition stands allowed. No cost."

(05.) पुनः माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष राजेन्द्र नगर स्थित लीज फ्लैट सं0– JF - 1/56 ब्लॉक नं0–05 के क्रेता नीलम द्विवेदी के द्वारा दाखिल याचिका CWJC No.17445 of 2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–12.08.2024 को निम्नवत आदेश पारित किया गया है–

"15. Despite loosing the battle upto the Hon''ble Apex Court, "the PMC" is continuing with its draconian Clause/Rule which is completely illegal.

16. In that background, this Court has no option but to quash the letter no. 12071 dated 26.08.2022 (Annexure-7 to the writ petition) by which demand of Rs. 35,33,390/- as "laabhaansh" (dividend) has been demanded by "the PMC".

17. The petitioner to approach "the PMC" in next four weeks alongwith this order who shall take appropriate steps in accordance with law in next three months.

18. The present writ petition is allowed."

पटना इम्प्रुवमेन्ट ट्रस्ट (भू–निस्तार) नियमावली, 1957 के आलोक में पटना उन्नयन न्यास के कार्यकाल के दौरान के अर्जित/राज्य सरकार द्वारा लीज पर हस्तान्तरित भू–भाग पर विकास योजना के तहत कर्णांकित भूखंडों के लीज–धारक जिनके साथ निष्पादित एवं निबंधित लीज–डीड में दस वर्षों का उपबंध का उल्लेख किया गया था, ऐसे लीज–धारक के द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ लीज की सम्पति का विक्रय दस वर्षों के बाद बिना सूचना/अनुमति के अन्य व्यक्ति के साथ किया गया तथा क्रय–विक्रय के उपरान्त क्रेताओं के द्वारा भू–निस्तार नियमावली, 1978 के तहत इस कार्यालय में नामान्तरण हेतु आवेदन उपलब्ध कराने पर चूंकि भू–निस्तार नियमावली, 1957 में नामान्तरण की शक्ति व्याख्यापित/प्रदत्त नहीं की गयी थी जबकि भू–निस्तार नियमावली, 1978 में नामान्तरण की शक्ति प्रदत्त करते हुये इसे व्याख्यापित किया गया है। ऐसी स्थिति में भू–निस्तार नियमावली, 1978 में व्याख्यापित/प्रदत्त शक्ति के तहत इस कार्यालय द्वारा म्यूटेशन फी की मॉंग करने पर क्रेताओं के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भू–निस्तार नियमावली, 1957/तत्कालिक समय में निष्पादित एवं निबंधित लीज–डीड में किये गये उपबंधों का हवाला देते हुये याचिका दाखिल की गयी जिसके आलोक में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस कार्यालय से निर्गत किये गये म्यूटेशन फी के मॉंग को खारिज किया गया है।

विदित हो कि ऐसे क्रेता जिनके द्वारा आवंटी/नामान्तरणधारी से लीज–प्रणाली पर आवासीय उपयोग के लिए आवंटित फ्लैटों/भवनों/भूखण्डों का क्रय गुप्त तरीके से कर लिया गया है। उन मामलों में वर्तमान समय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में इस कार्यालय को क्रेताओं द्वारा क्रय किये गये फ्लैटों/भवनों/भूखण्डों का Resume (वापसी) के अलावे कोई विकल्प नहीं है। जिसके कारण फ्री होल्ड योजना के अन्तर्गत उक्त गुप्त तरीके से क्रय किये गये फ्लैटों/भवनों/भूखण्डों का फ्री होल्ड में समावेशित करने में कठिनाई है। ऐसी स्थिति में उक्त क्रेताओं से संबंधित क्रय किये गये फ्लैटों/भवनों/भूखण्डों को फ्री होल्ड योजना में समावेशित

महापौर
पटना नगर निगम

किये जाने के लिये यह आवश्यक है कि पूर्व से निर्धारित नियमों/प्रावधानों में इन मामलों को दृष्टिगत रखते हुये एक जनोपयोगी नीति–निर्धारण पर विचार किया जाय।

साथ ही वैसे आवंटी/क्रेता जिनके द्वारा इस कार्यालय में क्रय–विक्रय की अनुमति की माँग नहीं की गयी/इस आशय की किसी भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है, के साथ फ्री–होल्ड की योजना के कार्यान्वयन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के द्वारा पत्रांक–6305, दिनांक–11.10.2019 से फ्री–होल्ड किये जाने के बिन्दु पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से सहमति प्राप्त करने के क्रम में सहमति के पूर्व बिन्दुवार माँग किये गये प्रतिवेदन एवं विस्तृत स्थिति से विभाग को अवगत कराने में कठिनाईयाँ दृष्टिगत हो रही है।

जिस पर विचार विमर्श एवं निर्णय हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, ऐसी जानकारी मिली है कि पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, विघटित(अब पटना नगर निगम) द्वारा आवासीय उपयोग हेतु लीज प्रणाली पर आवंटित भवनों/भूखंडों को लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड में परिवर्तन करने हेतु वैसे आवंटी/भू-धारक जिनके द्वारा भवनों /भूखण्डों का इस कार्यालय को सूचित किये बिना क्रय विक्रय के उपरान्त क्रेताओं द्वारा नामान्तरण नहीं कराया गया है, से ''एक कालिक परिवर्तन प्रभार शुल्क 10 प्रतिशत राशि के अतिरिक्त शुल्क प्राप्त करने हेतु नीति निर्धारण किया जाना है। इस संबंध में कहना है कि कुछ आवंटी बिना निगम की अनुमति/सूचना दिए क्रय-विक्रय कर दिये हैं और निगम को लाभांश का भुगतान भी नहीं किये है। ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव है कि उन पर दण्ड निर्धारित होना चाहिए। इस विषय को समीक्षा करते हुए अगली बैठक में रखा जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का सुझाव निगमहित में है। इस विषय को अगली बैठक में विस्तृत विवरण के साथ रखा जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह : माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का प्रस्ताव अच्छा है। इसे अगली बैठक में रखा जाय।

श्रीमती कांति देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इसे अगली बैठक में रखा जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इसे अगली बैठक में रखा जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

उप-महापौर :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह निगमहित की बात है, बिना निगम की अनुमति के क्रय-विक्रय किया है तो वे नियमानुसार दण्ड के भागी हैं। इसे अगली बैठक में पूर्ण विवरण के साथ लाया जा सकता है।

प्रस्ताव संख्या-330:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस मद का संलेख विस्तृत विवरण के साथ सशक्त स्थायी समिति की अगली बैठक में रखा जाय।**

अ0मद0संख्या-13 :- **पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अब पटना नगर निगम द्वारा राजेन्द्र नगर, पटना में हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (HUDCO) के साथ आवंटित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निर्मित ब्लॉक- III का फ्लैट संख्या-301 एवं ब्लॉक- iv का फ्लैट संख्या-301 का क्रय के संबंध में।**

अध्यक्ष :- **फ्लैट आवंटन** का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :– पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अब पटना नगर निगम द्वारा राजेन्द्र नगर, पटना में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निर्मित आवासीय अपार्टमेंट भवन ब्लॉक–IIIमें फ्लैट सं0–301 एवं ब्लॉक–IV में फ्लैट सं0–301का आवंटन 66 वर्षीय लीज प्रणाली पर पत्रांक–170/प0क्षे0वि0प्रा0, दिनांक–18.01.1995 से रू0–4,61,500/– रूपये पर ब्लॉक–III स्थित फ्लैट सं0–301 एवं रू0–3,13,000/– रूपये पर ब्लॉक–IV स्थित फ्लैट सं0–301 का आवंटन हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (HUDCO) के साथ किया गया है।

हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (HUDCO) के साथ ब्लॉक–IIIस्थित फ्लैट सं0–301 का लीज–डीड का निष्पादन दिनांक–07.07.1996 के प्रभाव से एवं ब्लॉक–IV स्थित फ्लैट सं0–301 का लीज–डीड का निष्पादन दिनांक–17.10.1995 के प्रभाव से दिनांक–13.01.1999 को किया गया है।

हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (HUDCO) के साथ आवंटित ब्लॉक–IIIस्थित फ्लैट सं0–301 एवं ब्लॉक–IV स्थित फ्लैट सं0–301 के लिये निष्पादित लीज–डीड की कंडिका–XIII में निम्नवत् प्रावधान किये गये है :–

XIII. *"The Lessee shall not transfer, assign or otherwise part with the possession of the whole or any part of the lease hold except with the previous consent of the lessor in writing. Provided further that in case the lessee is desirous to transfer, the lessor shall have the pre-emptive right to purchase the leasehold after deducting 50% of the unearned increase (i.e. the difference between the premium paid and market value) of the said leasehold.*

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION नगर सरकार

महापौर
पटना नगर निगम

Provided further that in case, the lessor does not exercise the above mentioned pre-emptive right to purchase it may, on receipt of 1/2 of the above mentioned unearned increase in the value of the lease hold from the lessee, permit in its absolute discretion. At the end of ten years of satisfactory observance and compliance by the lessee of the terms and conditions of this deed of earlier if the lessor thinks fit, the right to transfer, assign or otherwise or in part of the lease hold on such terms and conditions as the lessor may determine.

Provided further that in this event of the lease hold being transferred in anymanner, whatsoever, the transferor and the transferees shall within 3 months of the transfer give notice of such transfer to thelessor. The transferes shall further supply the lessor certified copies of the documents evidencing the transfer within three months of execution of the transfer deed.

Provided further that in the event of transfer being made without obtaining previous permission of the lessor in writing such transfer shall not be recognised by the lessor and it shall be open to the lessor terminate the lease.

Notwithstanding anything in sub-clause as above, the lessee may with the previous consent in writing of the lessor mortgage or charge the lease hold to such person as may be approved by the lessor in its absolute discretion.

Provided that, in the event of sale or foreclosure of the mortgaged or charged lease hold, the lessor shall be entitled to claim and recover the fifty per cent of the unearned increase in the value of the lease hold as aforesaid, and the amount of the Lessor"s share of the said unearned increase shall be first charge, having priority over the said mortgage or charge.

Provided further that the lessor shall have pre-emptive right to purchase the mortgaged or charged lease hold after deducting fifty per cent of the unearned increase aforesaid in every case of transfer. In every case for permission the lessee will have toindicate the price offered or agreed upon.

The decision of the lessor in respect of market value of the said lease hold shall be final and binding on all parties concerned."

हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (HUDCO) के द्वारा पत्र सं0–हडको / प0क्षे0का0 / Flats-Monet / 2024 / 31, दिनांक–18.04.2024 इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुये HUDCOको स्वयं आवंटित ब्लॉक–IIस्थित फ्लैट सं0–301 एवं ब्लॉक–IV स्थित फ्लैट सं0–301 के लिये निष्पादित लीज–डीड की शर्तों के आलोक में निम्नलिखित दो बिंदुओं पर सहमति हेतु अनुरोध किया गया है :–

1. Whether Patna Muncipal Corporation (lessor) would execercise its pre-emptive right to purchase the above flats. If yes, please provide the amount of unearned increase

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

based on the Market value these flats as per the assessment of Patna Municipal Corporation (lessor) and indicate the amount payable to HUDCO. Else,

2. Provide permission for sale in writing if Patna Municipal Corporation (lessor) is not exercising its pre-emptive right to purchase.

पटना नगर निगम द्वारा प्रश्नगत दोनो फ्लैटों को लीज–डीड की शर्तों के आलोक मे आवंटी से वापस क्रय किये जाने की स्थिति मे जिला अवर निबंधक, पटना के द्वारा वर्तमान समय मे उक्त क्षेत्र के लिए निर्धारित बजार मुल्य के अनुसार लीज–डीड की शर्तों के आलोक मे राशि की गणना करने पर हुडको को देय राशि ब्लॉक–IIIस्थित फ्लैट सं0–301 के लिए मो0–6,78,750/– रूपये एवं ब्लॉक–IV स्थित फ्लैट सं0–301 के लिए मो0– 4,31,700/– रूपये अर्थात उक्त दोनो फ्लैटों के लिए कुल देय राशि मो0–11,10,450/– रूपये होता है।

प्रस्ताव–अतः हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (HUDCO) के द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुरोध पत्र दिनांक–18.04.2024 के आलोक मे पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अब पटना नगर निगम द्वारा राजेन्द्र नगर, पटना मे स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (HUDCO) के साथ आवासीय प्रयोजन हेतु आवंटित अपार्टमेंट भवन ब्लॉक–IIIके फ्लैट सं0–301 एवं ब्लॉक–IV के फ्लैट सं0–301के संबंध मे निष्पादक का प्रथम अधिकार (*lessor shall have the pre-emptive right to purchase the leasehold*)के तहत लीज–डीड की शर्तों के आलोक मे दोनो फ्लैटों के लिए कुल देय राशि मो0–11,10,450/– रूपये का भुगतान कर HUDCO से क्रय किये जाने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :– माननीया अध्यक्ष महोदया, इसे पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह : माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या–331 :– सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अब पटना नगर निगम द्वारा राजेन्द्र नगर, पटना में हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (HUDCO) के साथ आवंटित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निर्मित ब्लॉक– III का फ्लैट संख्या–301 एवं ब्लॉक–iv का फ्लैट संख्या–301 का क्रय प्रथम अधिकार (*lessor shall have the pre-emptive right to purchase the leasehold*) के तहत लीज–डीड की शर्तो के आलोक में दोनो फ्लैटों के लिए कुल देय राशि मो0–11,10,450/– रूपये का भुगतान कर HUDCO से क्रय किये जाने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

अ0मद0संख्या-14 :- **पटना नगर निगम अन्तर्गत दो अद्द ट्रक माउंटेड मैन लिफ्टर क्रय कराने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- दो अद्द ट्रक माउंटेड मैन लिफ्टर क्रय करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सभी मुख्य एवं प्रधान सड़कों के पोलों पर स्ट्रीट लाईट लगाया गया है। इसके साथ मुख्य चौराहों पर हाईमास्ट लाईट एवं फ्लाई ओभर पर लाईट लगाया गया है। इसके रख-रखाव हेतु दो अद्द ट्रक माउंटेड मैन लिफ्टर क्रय करने का प्रस्ताव है। इसके क्रय होने से बिजली के पोलों पर लाईट की मरम्मति करने में आसानी होगी, जिसको स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री विनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0-332 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम अन्तर्गत दो अद्द ट्रक माउंटेड मैन लिफ्टर क्रय करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

अ0मद0संख्या-15 :- **Development of landscaping work in the premises of maurya lok complex के संबंध में।**

अध्यक्ष :- मौर्यालोक कैम्पस में सौन्दर्यीकरण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के मौर्यलोक परिसर में कई सरकारी /अर्धसरकारी एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान है। यह पटना शहर का महत्वपूर्ण स्थल /परिसर होने के कारण मौर्यालोक में काफी बड़ी संख्या में लोग खरीदारी एवं खान-पान के लिए आते है। इसे देखते हुए नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। इस कार्य हेतु पी0आई0यू0 के अभियंताओं द्वारा प्राक्कलन तैयार किया गया है। जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

महापौर
पटना नगर निगम

क्र०	कार्य विवरण	बाजार दर से प्राप्त अनुमानित लागत
1	Estimate for development of Landscaping work at 2nd floor Block-C, PMC office	Rs-14,59,226.00
2	Estimate for development of Vertical Garden & Water fountain at Gate no-5 ,Mauryalok Campus	Rs-14,95,709-00
3	Estimate for development of Vertical Garden at gate no 03 & selfipoint gate no-03 near by maner sweets at Mauryalok Campus	Rs- 14,92,133.00
4	Estimate for development of Vertical Garden at gate no 03 nearby transformer , plants and planters at Gate no-1 & 05 (Main entrance / exit) at ,Mauryalok Campus	Rs- 14,83,796.00
5	Prosposal for comphrensive maintenance of all vertical gardening work, selfie point , landscaping work at 2nd floor block-c PMC Building, Gate no-01, 03 & gate no- 05 at mauryalok campus for 5 years @ Rs 35,500.00 per month	Rs- 21,30,000-00

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मौर्यालोक में काफी संख्या में खरीदारी एवं खान पान के लिए लोग आते है। यहाँ नागरिक सुविधा होना चाहिए। यह प्रस्ताव जनहित में है, इसे पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इसे पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इसे पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इसे पारित किया जाय।

उप-महापौर :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मौर्यालोक कम्पलेक्स पटना का सुन्दर एवं हृदय स्थल बनता जा रहा है। पटना के अलावे अन्य

महापौर
पटना नगर निगम

शहरों खान पान के लिए आते हैं। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0-333 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि **Development of landscaping work in the premises of maurya lok complex** के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसकी सूची निम्नवत् है :-

क्र0	कार्य विवरण	बाजार दर से प्राप्त अनुमानित लागत
1	Estimate for development of Landscaping work at 2nd floor Block-C, PMC office	Rs-14,59,226.00
2	Estimate for development of Vertical Garden & Water fountain at Gate no-5 ,Mauryalok Campus	Rs-14,95,709-00
3	Estimate for development of Vertical Garden at gate no 03 & selfipoint gate no-03 near by maner sweets at Mauryalok Campus	Rs- 14,92,133.00
4	Estimate for development of Vertical Garden at gate no 03 nearby transformer , plants and planters at Gate no-1 & 05 (Main entrance / exit) at ,Mauryalok Campus	Rs- 14,83,796.00
5	Prosposal for comphrensive maintenance of all vertical gardening work, selfie point , landscaping work at 2nd floor block-c PMC Building, Gate no-01, 03 & gate no- 05 at mauryalok campus for 5 years @ Rs 35,500.00 per month	Rs- 21,30,000-00

अध्यक्ष :- बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यों, नगर आयुक्त एवं सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की जाती है।

सीता साहू
16/11/24
(सीता साहू)
महापौर
पटना नगर निगम

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

प्रतिलिपि :- माननीया महापौर/ माननीय उप-महापौर/ माननीय सदस्य, सशक्त स्थायी समिति/ नगर आयुक्त/ सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निजी सहायक
19/11/24

19.11.24
नगर सचिव,
पटना नगर निगम,पटना।